

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि/विविध/वो-2/2018/193

दिनांक 07/01/19

समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :- ग्राम पंचायत स्तरीय साक्षरता केन्द्र प्रभावी के रूप में नियुक्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) द्वारा साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के क्रम में।

प्रसंग :- विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर का पत्रांक-पं.13 (28)सांख्यिकी/2018/6884 दिनांक 31.12.2018

संदर्भ :- प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज, (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक-प.13(28) सांख्यिकी/2018/3115-3550 दिनांक 16.07.2018

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि प्रमुख शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज(प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के निर्देशानुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO) को साक्षरता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित साक्षरता केन्द्र का प्रभावी नियुक्त किया गया है। उन्हें साक्षरता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने तथा संचालित विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में संधारित सामग्री/रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया गया कि उक्त निर्देशों की क्रियान्वित प्रभावी रूप से नहीं हो पायी है।

अतः इस पत्र के माध्यम से आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने मण्डल क्षेत्राधिकार में उक्तानुसार क्रियान्वित करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा समय - समय पर इस कार्य की अपने स्तर पर मॉनिटरिंग भी करेंगे।

www.rajteachers.com

क्रमांक-शिविरा-मा/माध्य/आदर्श वि/विविध/वो-2/2018/193


(नित्तमल डिल्लौ)
आई.ए.एस
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दिनांक 07/01/19

प्रातिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, कम विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, समस्त।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं समस्त पीईआरों विद्यालयों के ई-मेल पत पर प्रेषित करने हेतु।
10. वरिष्ठ सम्पादक, "शिविरा" प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी शिविरा अंक में प्रकाशनार्थ।
11. समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (PEEO), को जरिये ई-मेल उपर्युक्तानुसार पालनार्थ।
12. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
13. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
(आदर्श विद्यालय प्रकोष्ठ)
मा.शि., राज., बीकानेर



राजस्थान सरकार
निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संचालन, केंद्रीय प्रभावी अधिकारी, जयपुर-302017
फ़ोन :- 0141-2708836 फैक्स बम्बर : 2709025, 2701445
E-mail : dir-lit-rj@nic.in,

क्रमांक पं. 13(28)सांख्यिकी / 2018 / 6884

दिनांक : 31.12.2018

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- ग्राम पंचायत स्तरीय साक्षरता केन्द्र प्रभावी के रूप में नियुक्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(PEEO) द्वारा साक्षरता केन्द्रों के प्रभावी संचालन के क्रम में।

संदर्भ :- प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज, (प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 13(28)सांख्यिकी / 2018 / 3115-3550 दिनांक 16.07.18।

महोदय,

प्रमुख शासन सचिव महोदय स्कूल शिक्षा भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायतीराज(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान के संदर्भित आदेश द्वारा पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को साक्षरता संबंधी गतिविधियों के प्रभावी कियान्वयन, नियमित मॉनिटरिंग हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित साक्षरता केन्द्र का प्रभावी नियुक्त किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा उन्हें साक्षरता कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा करने तथा संचालित विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों में संधारित सामग्री/रिकार्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया गया कि उक्त आदेश की क्रियान्विति प्रभावी रूप से नहीं हो पायी है।

अतः अपने अधीनस्थ सभी संयुक्त निदेशक एवं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेशित कर संलग्न संदर्भित आदेश की क्रियान्विति करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न : संदर्भित पत्र।

www.rajteachers.com

24/12/18
(डॉ. राजेश शामी)
आई.ए.एस.

विशिष्ट शासन सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

दिनांक:

क्रमांक: प. 13(28) / सांख्यिकी / 2018 /

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निष्पादक समिति, समस्त।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त।
3. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जिले के लोक शिक्षा केन्द्रों का चार्ज ग्राम विकास अधिकारी से पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी(PEEO) को हस्तान्तरित करवाना सुनिश्चित करते हुये संदर्भित आदेशानुसार इन केन्द्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करावें एवं इनकी नियमित मॉनिटरिंग करते हुये प्रगति निदेशालय को भिजवाये।

अतिरिक्त निदेशक



राजस्थान सरकार
निदेशालय साकरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
४०० ०८० राजस्थान, रिक्षा डंकुल, रोड-पंचम, जयपुर लाल बेठ जार्न, जयपुर-३०२०१७
फ़ोन : ०१४१-२७०९८३६ फैक्ट्र फॉक्स फॉक्स : २७०९०२३, २७०१४४५
E-mail : dr-lit@rajlit.org, www.rajliteracy.org

क्रमांक : प-13(25)सांख्यकी/2018/ ३१५-३५५० दिनांक : १६-७-२०१८

आदेश

निदेशालय साकरता एवं सतत शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा सभय - सभय पर साकरता एवं सतत शिक्षा से संबंधित केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाएँ एवं शाज्य बद की योजनाएँ संचालित की जाती रही हैं। इनमें संपूर्ण साकरता, उत्तर साकरता, सतत शिक्षा, शिक्षण एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षण तथा साकर भारत कार्यक्रम आदि योजनाएँ प्रमुख हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन एवं समन्वयन योजना के प्रावधानों के अनुसार अलग-अलग रूप में होता रहा है।

अब जबकि स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विद्यालयों के नियमित संचालन एवं प्रभावी बोनिटरिंग हेतु पंचायत प्रारम्भिक-शिक्षा अधिकारी (PEBO) कार्यालय की स्थापना कर दी गयी है। साकरता निदेशालय भी प्रारम्भिक शिक्षा का ही अंग है, इस संदर्भ में साकरता संबंधी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संधालन, बोनिटरिंग एवं समीक्षा का दायित्व भी ग्राम पंचायत स्तरीय पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEBO) को दिया जाकर साकरता का प्रभावी नियुक्त किया जाता है।

अतः पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित ग्राम पंचायत में संचालित साकरता संबंधि गतिविधियों की नियमित समीक्षा करे। साकरता के कार्यक्रमों में संधारित सामग्री/रेकार्ड का भौतिक सत्यापन कर व्यवस्थित रूप से संधारण सुनिश्चित करायें। साकर भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत बेसिक साकरता से लाभान्वित नव साकरों एवं शेष वंचित असाकरों का रिकॉर्ड भी संधारित करायें। भविष्य में संचालित की जाने, वाली साकरता संबंधी नवीन योजना के क्रम में विस्तृत दिशा निर्देश पृष्ठक से जारी किये जायें।

(निरेशापात्र शुभंग वार)

प्रमुख शासन निपटानी

स्कूल शिक्षा, भाषा तथा पुस्तकालय विभाग [] प्रमुख राज
(प्रारम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान

क्रमांक : प-13(25)सांख्यकी/2018/ ३१५-३५५०

दिनांक : १६-७-२०१८

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
3. आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कम विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
4. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान, बीकानेर।
5. जिला कलेक्टर, समस्त।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
7. उप निदेशक माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
8. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त।
9. जिला साकरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सामग्री के भौतिक सत्यापन एवं बेसिक साकरता रिकॉर्ड के संधारण एवं समीक्षा का कार्य सुनिश्चित करायें।
10. विकास अधिकारी, समस्त।
11. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (PEBO), को उपरोक्तानुसार पालनार्थ।
12. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, समस्त।